International Journal of Academic Research and Development
ISSN: 2455-4197, Impact Factor: RJIF 5.22
www.academicsjournal.com
Volume 2; Issue 2; March 2017; Page No. 129-131

राजस्थान में महिला राजनीतिक भागीदारी एवं सशक्तीकरण

Seema
Department of History University of Rajasthan, Jaipur, Rajasthan, India

प्रस्तावना

राजस्थान में सर्वप्रथम ग्राम पंचायतों का गठन 2 अक्टूबर 1959 में जवाहर लाल नेहरू ने नागौर जिले में किया। जोकि राजस्थान की महिलाओं की प्राथमिक राजनैतिक पाठशाला, जिसमें ग्राम स्तर पर महिलाओं ने वार्ड सदस्य व ग्राम सरपंचों के रूप में चयनित होकर अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। पंचायत समिति सदस्य व अध्यक्ष के रूप में महत्त्वपूर्ण राजनैतिक भूमिका निभाई महिला की उन्नति व विकास के लिये आवश्यक है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र, विशेषत: राजनीति में उनका सशक्तीकरण हो, उनकी सहभागिता का स्तर उच्च हो। ऐसा होने पर ही लैंगिक आधार पर समानतापूर्ण समाज की स्थापना होगी। महिलाओं के राजनीति सशक्तीकरण हेतु तीन आधार भूत सिद्धान्तों को अनिवार्य माना जात है।

- स्त्री-पुरुष के मध्य समानता।
- स्वयं की क्षमताओं के पूर्ण विकास का महिलाओं का अधिकार।
- स्वयं के प्रतिनिधित्व व स्वयं के सन्दर्भ में निर्णय लेने का महिलाओं का अधिकार।

वास्तविकता तो यह है कि राजस्थान जैसे परम्परागत रीति-रिवाज माने वाले राज्य में राजनीतिक परिदृश्य में आज भी महिलाओं की भूमिका बहुत सार्थक नहीं मानी जाती जा सकती। निर्णय प्रक्रिया में सशक्त भागीदारी के अभाव में प्राय: ही उन्हें संसाधनों के असमान वितरण, अपने हितों की अपेक्षा तथा अनेक अन्य वंचनाओं का सामना भी करना पड़ता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि महिला सहभागिता के मुद्दे को अधिक सशक्त ढंग से उठाया जाए। यद्यपि पिछले कई दशकों से चले आ रहे महिला आन्दोलनों की प्रभावशाली उपलब्धियां रही हैं। परन्तु इसके पश्चात भी राजनीतिक शक्ति संरचना में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व देखने को नहीं मिलता। लगभग पूरे विश्व में औसतन 12-13 प्रतिशत महिलाएं ही विधायी संस्थाओं हेतु निर्वाचित हो रही है। और हमारे यहां भी यही स्थिति हैं। भारत में महिला सशक्तीकरण से संबंधित कुछ निम्न बिन्दु है -

- राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता हेतु किये गये प्रयास।
- स्वतन्त्र भारत में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता।
- महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता के समक्ष चुनौतियाँ।
- राजनीतिक सहभागिता वृद्धि हेतु किए जा सकने वाले प्रयासों की चर्चा।

राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता हेतु सार्थक संवैधानिक प्रयास किए गए हैं। भारतीय संविधान द्वारा स्त्रियों की राजनीतिक समता को मान्यता दिया जाना न केवल परम्परागत भारतीय सामाजिक प्रतिमानों की तुलना में नया कदम था बल्कि तत्कालीन समय के उन्नत देशों के राजनीतिक आदर्शों से भी अधिक बढ़कर था। महिला सशक्तीकरण हेतु आवश्यक है कि वह स्वयं उन नीतियों व योजनाओं के निर्माण में सहभागी हो जो उनके लिए बनायी जा रही है। यह तभी संभव है जबकि वे स्वयं भी उस राजनीतिक व्यवस्था का अंग हो जो नीति-निर्माण व क्रियान्वयन के लिये जिम्मेदार है। इसके लिए आवश्यक होगा कि निचले स्तर पर महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता हेतु किए गये प्रयोगों को विस्तृत राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाया जाए।

राजनीतिक सहभागिता में बाधक तत्व - स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी महिलाओं की असमान राजनीतिक भागीदारी से प्रदर्शित होता है कि आज भी सभी समाजों में संरचनात्मक, अभिवृत्यात्मक व सांस्कृतिक बाधाएं तथा महिलाओं हेतु पूर्वनिर्धारित लैंगिक भूमिकाएं उनके राजनीतिक सशक्तिकरण के मार्ग में प्रमुख रूकावट हैं। उन्हें नेतृत्व हेतु सक्षम नहीं माना जाता। राजनीतिक सहभागिता के माध्यम से महिला सशक्तिकरण की बात जोर-शोर से उठाने वाले राजनीतिक दल स्वयं जीते जा सकने वाले संसदीय क्षेत्रों से महिला उम्मीदवारों को खड़ा करने में एक स्पष्ट हिच किचाहट दिखाते हैं।

यह भी देखा जाता हैं कि बिना पारिवारिक व विशेष रूप से पति या पुरुष सदस्यों के सहयोग से महिलाओं के राजनीतिक जीवन में प्रवेश की संभावना लगभग शून्य होती हैं राजनीति में उनका प्रवेश प्राय: पत्नी, बेटी या बहन के रूप में पारिवारिक विरासत को संभालने के लिये होता है। निचले स्तर के कार्यकर्त्ता के रूप में कार्य करते हुए अपनी राजनीतिक पहचान बनाने वाली महिलाओं की संख्या बहुत कम है। साथ ही राजनीति की अपराधीकरण अराजक तत्वों का राजनीति में बढ़ता महत्त्व भी ऐसे कारक हैं जो महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता को रोकते हैं।

परम्परागत रूप से ''राजनीति'' पुरुषों का क्षेत्र माना गया है। ''लियानल टाइगर'' ने राजनीति को पुरुष प्रधान मानते हुए लिखा

है कि पुरुष, राज्य और राजनीति में सीधा सम्बन्ध हैं।[1] महिला का प्रमुख दायित्व मातृत्व माना जाता है जिसे वह अनन्तकाल से निभाती चली आ रही है और आगे तक निभाती चली जायेगी। किन्तु इसका अर्थ यह नही है कि उसका जीवन केवल यहीं तक ही सीमित हैं। समाज में महिला को दूसरे दर्जे का मानव माना जाये, यह उचित नहीं है। महिला को पुरुष से हीन समझना केवल स्त्री जाति के प्रति ही अन्याय नहीं है, बल्कि समाज और राष्ट्र दोनों के लिये अन्यायकारी हैं प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक प्लेटों का भी मानना हैं कि ऐसा करने से केवल महिलाओं का विकास ही अवरूद्ध नहीं होगा। अपितु यह होता हैं कि राज्य अपने आधे सदस्यों की सेवा से हाथ धो बैठता है। जिन कार्यों को करने की उनमें स्वाभाविक योग्यता हैं, वे सभी काम करने का अधिकार उन्हें मिलना चाहिए।[2] महिला में वे सभी क्षमताएं होती हैं, जो कि पुरुषों में है। स्त्रियों की प्रकृति में ऐसा कोई भेद नहीं हैं, जो राजनैतिक जीवन में इनके योगदान पर असर डालें।[3]

महिलाओं ने इस परम्परागत धारणा को समाप्त किया। महिलाओं ने इसके माध्यम से राजनीतिक में महिलाओं की भूमिका को आवश्यक और महत्वपूर्ण सिद्ध किया है। इस संबंध में ए.ओ ह्यूम ने कहा है कि सभी कार्यकर्त्ताओं को चाहे वे किसी भी राजनीतिक विचारधारा से संबंधित हो। उन्हें याद रखना चाहिए कि महिलाओं की प्रगति यदि राष्ट्र की प्रगति के साथ-साथ तथा समान स्तर पर नहीं होगी तो राजनीतिक मताधिकार के लिए किया गया सम्पूर्ण प्रयास व्यर्थ सिद्ध होगा।[4]

व्यवहारिकता और वास्तविकता के दृष्टिकोण से दोषपूर्ण होने के बावजूद भी महिला मताधिकार का विशेष महत्त्व रहा है। भारत में मताधिकार की मांग किये हुए 30 वर्ष भी नहीं हुए थे कि भारत में 1951 में वयस्क मताधिकार का सिद्धान्त मान्य हुआ। भारतीय महिला को भी पुरूषों के समान मताधिकार प्राप्त हो गया। भारतीय स्त्रियों को यह अधिकार बिना किसी किसी पृथक प्रयास के पुरुषों के साथ प्राप्त हो गया। उन्हें इसके लिये कोई लम्बा इन्तजार नहीं करना पड़ा जबकि पश्चिमी जगत की महिलाओं को इसके लिए लम्बे समय तक इन्तजार करना पड़ा है।[5] इस प्रकार भारत में महिलाओं के मताधिकार का विशेष महत्त्व रहा है।

संयुक्त राष्ट्र संघ के समाजशास्त्र विभाग द्वारा 1952-53 में दक्षिण एशिया की महिलाओं को अन्य देशों की महिलाओं द्वारा राजनीति में दिये गए योगदान का अध्ययन किया। इस अध्ययन में भी उनके सामने कुछ विचारणीय तथ्य आयें।[6] वे तथ्य निम्न हैं:-

- राजनीतिक दलों और विधानसभाओं में महिलाओं की संख्या कम होती है और महिलायें राजनीतिक गतिविधियों में भी कम ही रूचि लेती हैं। यद्यपि महिलायें मतददान तो बड़ी संख्या में करती है।
- महिलाओं की सुविधाओं और आवश्यकताओं का राजनीतिक दलों द्वारा प्रचार करते समय विशेष ध्यान रखा जाता है।
- मतदान प्रक्रिया में तर्क, विचारधारा और बढ़ोत्तरी को कम महत्त्व दिया जाता है। 1 प्रतिशत महिलायं ही मतदान से पूर्व चुनाव घोषणा पत्र का अध्ययन करती हैं। अन्यथा महिलायें परिवारजनों एवं पति की आज्ञा के अनुसार ही मतदान करती हैं।
- महिलाओं ने राजनीति में सचेत और सक्रिय रूप से बहुत ही नगण्य योगदान दिया है। विधानसभाओं, राजनीतिक दलों एवं महत्त्वपूर्ण नीति निर्माण में भी महिलाओं की विशेष भूमिका नहीं रही है। महिलायें शिक्षा स्वास्थ्य और समाज कल्याण के क्षेत्र में ही सक्रिय रही है।

भारतीय संविधान में महिलाओं की पुरुषों के समान ही राजनीतिक अधिकार, स्वतंत्रतायें और समानताएं प्रदान की गई हैं। लोकतंत्र एक सजीव, परिवर्तनशील, गतिशील और विकासोन्मुखी संकल्पना है। महिलाओं के इस बड़े वर्ग को ये सभी अधिकार व्यवहार में प्राप्त होने पर हम लोकतंत्र की सफलता की आशा कर सकते हैं महिलाओं को ये सभी संवैधानकि अधिकार प्राप्त होने के बावजूद भी वे राजनीति में पूर्णरूप से सक्रिय नहीं हो पा रही हैं। आर्थिक पराधीनता ही उनकी राजनीतिक उदासीनता का प्रमुख कारण हैं। प्राचीन समय से चली आ रही परम्परा के अनुसार ही महिलायें राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में भी स्वायत्त निर्णय लेने में असमर्थ है। यद्यपि काफी सीमा तक महिलायें आर्थिक रूप से स्वावलम्बी हैं, वे फिर भी कुछ स्वायत्त निर्णय ले सकती हैं। परन्तु राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में लगभग महिलायें पुरुषों पर ही निर्भर होती हैं। राजनीतिक क्षेत्र के प्रति महिलाओं की उदासीनता का कारण केवल मात्र आर्थिक पराश्रिता ही नहीं है।

भारत में सामाजिक परम्पराओं और रूढ़ियों के कारण महिला-पुरुष की समानता को सिद्ध करने वाले कानून भी गतिशील नहीं हो पाते हैं। क्योंकि इन कानूनों की क्रियाशीलता सामाजिक रूढ़ियों के कारण पिछड़ गई हैं पिछले 59 वर्षों से भारत के समाज में अनेक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए है। परन्तु वर्तमान समाज की नींव पुरुषों की श्रेष्ठता पर आधारित है। 21वीं सदी के इस भारत में भी राजनीति की ओर आकृष्ट होने वाली महिलाओं की संख्या कम ही है। यद्यपि इस सदी में बाकी सभी अन्य क्षेत्रों में महिलायें पुरुषों की बराबरी कर रही है। बल्कि कुछ क्षेत्रों में पुरुषों को पीछे ही छोड़ दिया है। आज शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाये तो महिलायें पुरुषों से कहीं एक कदम आगे है। इसका कारण है कि समाज के सभी तत्व उन्हें राजनीति से विलग रखना चाहते हैं। यदि महिलायें राजनीति को केवल मात्र पुरुषों के लिये ही छोड़ देती है तो उनका पूरा दायित्व उन सभी शक्तियों और बलों पर हैं जो समाज की मान्यताओं, प्रणालियों, पारिवारिक जीवन, शिक्षा, धर्म और साहित्य को रचकर महिलाओं को दूसरी विपरीत दिशा की तरफ उन्मुख करती है।[6]

इस विवरण से स्पष्ट है कि राष्ट्रीय आन्दोलन के परिणामस्वरूप महिलाओं को मताधिकार की स्वीकृति मिली। अरूणा आसफ अली के अनुसार महिला मताधिकार एक आरक्षण से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। जिस उत्तरदायित्व के लिए हमें सचेत रहना है, वह इस अधिकार के साथ-साथ जुड़ा हुआ है।[7]

इस प्रकार संवैधानिक दृष्टि से भारतीय महिलाओं को अधिकारों के साथ-साथ पुरुषों के समान ही राजनैतिक पदों पर नियुक्त होने का अधिकार प्राप्त हो चुका, परन्तु अन्य क्षेत्रों में तो महिलायें तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। भारतीय महिलायें प्रशासन, उद्योग, नौकरियों, पुलिस, न्यायिक क्षेत्र और सेना आदि सभी क्षेत्रों में पुरुषों से आगे बढ़ रही है। पुरुषों के समानाधिकार की प्राप्ति के बावजूद भी भारतीय महिला राजनीतिक एवं सामाजिक दृष्टि से दूसरे दर्जे का नागरिक बनी हुई है। यह वर्ग राजनीति में अपनी पृथक भूमिका निभाने में असमर्थ है। इसलिए महिलाओं में राजनैतिक जागरूकता और राजनैतिक सक्रियता उत्पन्न करने के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक शिक्षा प्रसार कार्यक्रम चलाने, महिला जन जागरण कार्यक्रम, सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा चलाये जाने आवश्यक है।

यद्यपि भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार के कार्यक्रम समय-समय पर आयोजित किये जाते रहे हैं। परन्तु इनका लाभ तभी प्राप्त हो सकता है, जब यह वर्ग स्वयं अपने अधिकारों और स्थिति के प्रति जागरूक होगा। महिला की स्थिति एवं उनके विचारों में परिवर्तन का मापदण्ड तो यही हो सकता है कि स्वयं महिला अपने बारे में क्या सोचती हैं। अतः निष्कर्ष यही निकलता है कि महिला को स्वयं को ही अपने लिये जागरूक होना पड़ेगा। महिलाएं जो कि प्रबुद्ध नागरिक है एवं एक विकासशील समाज में जब विचरण करती है तो राजनीतिक व्यवहार की दृष्टि से एक ऐसी संस्कृति को इंगित करती है जिससे समाज की मूल्यात्मकता का दृष्टिकोण बनता है।

राजनीति अपने आप में पूर्ण हैं और इसका तात्पर्य है कि समाज के लोग अथवा उनके समूह अपनी क्षमता एवं रूचि की मात्रा के अनुसार स्थानीय, प्रांतीय राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय सभी स्तरों पर उलझे रहते हैं। 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग के गठन के बाद से सदियों से पिछड़े शोषित एवं उपेक्षित महिला वर्ग के विकासार्थ विशेष ध्यान दिया गया हैं। इन महिला संगठनों द्वारा महिलाओं के विकास हेतु कार्य करने के बादजूद भी अभी तक भारतीय महिलाओं की सामाजिक आर्थिक, शैक्षिक दशा सुधारने की आवश्यकता बनी हुई है। राजस्थान में भी मुख्यमंत्री ने भी बजट महिला शक्ति को समर्पित किया। इतना सब होने के पश्चात् भी महिलाओं में राजनैतिक उदासीनता बनी हुई है।

यद्यपि भारत में शिक्षित महिलायें सक्रिय राजनीति में भाग नहीं लेती है। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि देश की, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक गतिविधियों के प्रति जागरूक नहीं है। भारत की जनतांत्रिक व्यवस्था में एक नागरिक होने के नाते शिक्षित महिलायें सभी स्तरों की राजनीतिक गतिविधियों के प्रति सचेत और ज्ञानवान है।

संदर्भ ग्रंथ

1. जैन.एस. जैक्यूट (सं.), वूमेन इन पॉलिटिक्स, ए.ओ. विले, इण्टर साईन्स पब्लिकेशन्स
2. बार्कर, सर अर्नेस्ट, यूनानी राजनीतिक सिद्धान्त, अनुवादक विश्व प्रकाश गुप्त, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, पृ. 331
3. उपर्युक्त, पृ. 331
4. गरडाक जान, टेवेल्व इयर्स ऑफ इण्डियन प्रोग्रेस, 36 उद्धरण, नोट-5, पृ. 88
5. लक्ष्मी मेनन, यूनेस्को, स्टेट्स ऑफ वूमेन इन साउथ एशिया, 89, उद्धरण, नोट-5, पृ. 88
6. वीना मजूमदार, ''सिम्बिलस ऑफ पॉवर'', बम्बई, एलाइड् 1979, विस्तार वर्णन हेतु।
7. श्यामा कुमारी नेहरूः अवर काजः ए सिम्पोजियम बॉय, इण्डियन वूमन, इलाहाबाद, किवाविस्तान, पृ. 364